

¹⁹अनुसूची 5
[कृपया विनियम 5(5) देखें]

एस्क्रो खाता खोलने के लिए नियम एवं शर्तें

इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास एस्क्रो एजेंट के रूप में भारतीय रुपये में एस्क्रो खाता संयुक्त रूप से और अलग-अलग निम्नलिखित मामलों में खोला जा सकता है।

1. किसी अनिवासी कॉर्पोरेट (कंपनी) द्वारा ओपन ऑफर्स/ डीलिंग/ एक्जिट ऑफर्स के जरिए पूंजीगत लिखतों / परिवर्तनीय नोट के अर्जन/ अंतरण के लिए।

ए. एस्क्रो खाते में अनुमत जमा निम्नवत हैं :

- i. बैंकिंग चैनल के जरिए विदेशी आवक विप्रेषण।
- ii. समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा जारी की गई गारंटी के जरिए।

बी. एस्क्रो खाते से अनुमत नामे (डेबिट) इस प्रकार हैं:

- i. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SAST) विनियमावली अथवा सेबी द्वारा जारी किसी अन्य विनियमावली के अनुसार।

सी. निवासी अधिदेशिती, जिसे इस प्रयोजन के लिए पारदेशीय अर्जक द्वारा अधिकार प्रदान किया गया है, सेबी विनियमावली (SAST) अथवा सेबी द्वारा जारी किसी अन्य विनियमावली के अनुसार एस्क्रो खाते का परिचालन कर सकता है।

डी. ऊपर उल्लिखित के अनुसार, अपेक्षाओं के पूरा होने के तत्काल बाद एस्क्रो खाता बंद कर दिया जाएगा।

2. पूंजीगत लिखतों/ परिवर्तनीय नोटों के अर्जन/ अंतरण के लिए निवासी और अनिवासी अर्जकों द्वारा

ए. एस्क्रो खाते में अनुमत जमा निम्नवत हैं:

- i. बैंकिंग चैनल के जरिए विदेशी आवक विप्रेषण;
- ii. अनिवासी धारक से अंतरण के जरिए पूंजीगत लिखतों/ परिवर्तनीय नोटों के अर्जन का प्रस्ताव करने वाले निवासी अर्जकों द्वारा बैंकिंग चैनल के जरिए रुपये में प्राप्त प्रतिफल ।
- iii. विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000, समय-समय पर यथासंशोधित, में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा जारी की गई गारंटी के जरिए।

बी. एस्क्रो खाते से अनुमत नामे (डेबिट) इस प्रकार हैं:

- i. पूंजीगत लिखतों/ परिवर्तनीय नोटों के निर्गम/ अंतरण के लिए प्रतिफल राशि का विप्रेषण सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में (भारत में निर्गमकर्ता अथवा भारत अथवा विदेश में पूंजीगत लिखतों/ परिवर्तनीय नोटों का अंतरणकर्ता)।

¹⁹ दिनांक 09 नवंबर 2018 की अधिसूचना संख्या फेमा 5(आर)(1)/2018-आरबी के माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया।

ii. जिस प्रयोजन के लिए एस्क्रो खाता खोला गया था, ऐसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी लेनदेन के विफल होने/ सफल न होने के मामले में, निधि को प्रारम्भिक निवेशक को वापस करने हेतु किया जाने वाला प्रतिफल का विप्रेषण।

सी. एस्क्रो खाते में रखी गयी/ जुड़ी हुई प्रतिभूतियों को सेबी द्वारा एस्क्रो एजेंट के रूप में प्राधिकृत निक्षेपागार सहभागियों के पास खोले गए डीमैट खाते से लिंक किया जाए।

डी. एस्क्रो खाते का परिचालन अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए ही किया जा सकेगा और ऊपर उल्लिखित जिस अपेक्षा हेतु यह खाता खोला जाता है उसकी पूर्ति हो जाने के तत्काल बाद या खाता खोले जाने की तारीख से छह माह की अवधि पूरी होने पर, जो भी पहले हो, इसे बंद कर दिया जाएगा। यदि एस्क्रो खाता 6 महीने से अधिक अवधि के लिए खुला रखना आवश्यक हो, तो रिज़र्व बैंक की विशेष अनुमति प्राप्त की जाए।

ई. उपर्युक्त पैराग्राफ डी में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, निवासी खरीददार और अनिवासी विक्रेता, अथवा इसके विपरीत, के बीच होने वाले पूंजीगत लिखतों के अंतरण संबंधी मामले में, यदि खरीददार और विक्रेता द्वारा इस पर सहमति होती है, तो उनके बीच प्रतिफल राशि के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक राशि के लिए एस्क्रो व्यवस्था अंतरण करार की तारीख से अठारह माह से अनधिक अवधि के लिए की जा सकती है।

3. अर्जन/अंतरण विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त मात्रा में अर्जन और अधिग्रहण) विनियमावली, 1997 [सेबी (SAST) विनियमावली] अथवा सेबी द्वारा जारी किसी अन्य संगत विनियमावली के उपबंधों के अंतर्गत किया जाएगा।

4. एस्क्रो खाता ब्याज-अर्जक नहीं होगा।

5. एस्क्रो खाते में जमा शेषराशि के बदले निधि अथवा गैर-निधि आधारित सुविधाओं की अनुमति नहीं होगी।

6. रिज़र्व बैंक द्वारा जारी केवायसी दिशानिर्देशों के अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति प्राधिकृत व्यापारी को सुनिश्चित करनी होगी।

7. एस्क्रो खाते में शेष जमाराशि, यदि कोई हो, को उक्त अर्जन संबंधी सभी औपचारिकताओं के पूरी हो जाने के बाद तत्समय लागू विनिमय दर पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाए (अर्थात्, विनिमय दर जोखिम को पूंजीगत लिखतों अथवा परिवर्तनीय नोटों का अर्जन करने वाले भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा)।

8. ऐसे मामलों में जहाँ प्रस्तावित अर्जन/ अंतरण फलीभूत नहीं हो पाता, वहाँ प्राधिकृत व्यापारी एस्क्रो खाते में जमा पूरी राशि के प्रत्यावर्तन/ वापसी की अनुमति दे सकते हैं यदि वे ऐसे विप्रेषणों की सदाशयता के बारे में संतुष्ट हों।

9. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की रिपोर्टिंग के प्रयोजन से, पूंजीगत लिखतों/ परिवर्तनीय नोटों के निर्गमकर्ता अथवा अंतरणकर्ता, जैसा भी मामला हो, के बैंक खाते में निधियों के अंतरण की तारीख विप्रेषण की प्रासंगिक तारीख मानी जाएगी।